कयर बोर्ड
COIR BOARD
कर्मचारी पेंशन निधि
उप-नियम, 1977
EMPLOYEES PENSION FUND
BYE-LAWS, 1977

कयर बोर्ड
COIR BOARD
(भारत सरकार)
(GOVERNMENT OF INDIA)
एरणाकुलम, कोच्ची - 682 016
ERNAKULAM, KOCHI - 682 016

कयर बोर्ड

कर्मचारी पेंशन निधि उपनियम, 1977

भारत सरकार

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 फ़रवरी, 1977

का आ 701 – कयर उद्योग अधिनियम 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड द्वारा बनाए गए और केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि किए गए निम्नलिखित उपनियम उक्त धारा की उपधारा (2) में यथापेक्षित व्यवस्थानुसार प्रकाशित किए जाते हैं,

अर्थात :–

1. लघु शीर्षक, आरंभ और अनुप्रयोग :- (1) इन उपनियमों को कयर बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि उपनियम, 1977 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो जाने की तारीख से लागू हो जाएँगे।

2. परिभाषाएँ :– इन उपनियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई असंगति नहीं है तब तक –

(क) "अधिनिम" से तात्पर्य है – कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45);

(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य है अधिनियम के अधीन गठित कयर बोर्ड;

(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है बोर्ड का अध्यक्ष;

(घ) "कर्मचारी" से तात्पर्य है केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा करने वाले किसी व्यक्ति के अतिरिक्त बोर्ड का वैतनिक अधिकारी या सेवक जिसकी सेवाएँ बोर्ड के लिए उधार पर ली गई हैं या बोर्ड में स्थानान्तरित की गई हैं या जो एक करार या सावधिक पद रखता है।

(ङ) "निधि" से तात्पर्य है इन उपनियमों के अधीन गठित कयर बोर्ड कर्मचारी प्रेंशन निधि।

(च) "उदारीकृत पेंशन नियम" से तात्पर्य है केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन और उपदान के अनुदान को विनियमित करते हुए संशोधित किए गए केन्द्र सरकार के उदारीकृत पेंशन नियम।

(छ) "सेवानिवृत्ति" से तात्पर्य है हरेक काल में लागू में रहे उदारीकृत पेंशन नियम के अनुसार कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन द्वारा मासिक भुगतान और मृत्यु व उपदान ।

(ज) "वर्ष से तात्पर्य है वित्तीय वर्ष

३ निधि का गठन :– कयर बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(i) कयर बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि उपनियम, 1955 के अधीन इन उपनियमों द्वारा शासित हो जाने के लिए चुने गए बोर्ड के कर्मचारियों को कयर बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई ब्याज सहित सभी राशियों । ये राशियाँ निधि को स्थानान्तरित-सी रहेंगी ।

(ii) निधि का ऋण, जमा, निवेश या अन्य से प्राप्त आय और

(iii) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निधि को स्थानान्तरित उस प्रकार की अन्य राशियाँ ।

4. अधिकार – निधान और क्रियान्वयन :– निधि बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी ।

5. वित्त और लेखा :– (1) इन उपनियमों के अधीन निधि में अदा की गई और निधि से वापस ली गई सभी राशियों का बोर्ड की बहियों में कयर बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा नामक एक विशेष लेखा में लेखा दिया जाएगा । अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा इस प्रकार के लेखा की वार्षिक परख और लेखा-परीक्षा की जाएगी ।

(2) बोर्ड द्वारा निधि के क्रियान्वयन के सारे खर्चे निधि के आय से या बोर्ड के निर्देश के अनुसार उठाए जाएँगे ।

6. जमा और निवेश :– कयर बोर्ड (व्यापार लेन-देन, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और लेखाओं का रख-रखाव) उपनियम – 1955 के उपनियम 25

और 26 के अधीन निर्धारित रीति के अनुसार निधि की राशियों को रखा जाएगा और निवेशित किया जाएगा ।

7. संवितरण :- (1) अपने अनुरूपी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए बनाए गए तथा अब लाभ में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के उदारीकृत पेंशन नियम में निर्धारित उसी रीति, उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों के अधीन कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान करने के लिए इस निधि की राशियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन जहाँ कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति दी जाने योग्य है, वहाँ उस प्रकार की प्रतिपूर्ति, इन उपनियमों के अधीन कर्मचारियों को अनुज्ञेय सेवनिवृत्ति सुविधाओं की राशि में समंजित की जाएगी ।

8. भंग :- बोर्ड के भंग हो जाने पर निधि विघटित हो जाएगी जिससे निधि की सारी देयताएँ और परिसम्पत्तियाँ केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित-सी हो जाएँगी और केन्द्रीय सरकार इन उपनियमों के अनुसार सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को देयता उन्मोचित करेगी ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, The 17th Feb, 1977

S. O. 701:- The following by-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by "Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, namely:-

1. Short title, commencement and application:- (i) These by-laws, may be called the Coir Board Employees Pension Fund By-laws, 1977.

ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions:- In these by-laws, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Act" means the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953);

(b) "Board" means the Coir Board constituted under the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board:

(d) "Employee" means a salaried officer or servant of the Board other than a person in the service of the Central or State Government whose services have been lent or transferred to the Board or holding a contract or tenure post;

(e) "Fund" means the Coir Board 'Employees' Pension Fund constituted under these by-laws;

(f) "Liberalised Pension Rules" means the Liberalised Pension Rules of the Central Government, as amended from time to time; regulating the grant of pension and gratuity to its employees;

(g) "Pension" means and includes monthly payments by way of pension to the employees and their family and death-cum-gratuity in accordance with the Liberalised Pension Rules, for the time being in force;

(h) "Year" means the financial year;

3. Constitution of the Fund:- There shall be constituted a Fund called the Coir Board Employees' Pension Fund and it shall consist of:

(i) All amounts contributed by the Board inclusive of interest accrued thereon, under the Coir Board Contributory Provident Fund By-laws, 1955 on account of such of the employees of the Board as have elected to be governed by these by-laws. The amount shall stand transferred to the fund;

(ii) the income of the Fund from loans, deposits, investments or otherwise; and

(iii) Such other amounts as may be transferred to the Fund from time to time by the Board.

4. Vesting and Administration:- The Fund shall vest in the Board and be administered by it.

5. Finance and Account:- (1) All sums paid into and drawn out of the Fund under these by-laws shall be accounted for in the books of the Board in a separate account named the Coir Board Employees' Pension Fund Account. Such account shall be examined and audited annually by the auditors appointed under sub-section of Section 7 of the Act.

(2) All expenses of the administration of the Fund shall be met by the Board from out of the income of the Fund or as the Board may otherwise direct.

6. Deposit and investment:- The amount in the Fund shall be held and invested in the manner prescribed under by-laws 25 and 26 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) By-laws,1955.

7. Disbursements:- (1) The amounts in the Fund shall be applied for payment of pension to the employees in such manner, at such rates and under such conditions as are perscribed under the Liberalised Pension Rules of the Central Government for its employees of the corresponding grades and which are for the time being in force.

(2) where compensation is payable to the employes by the Board under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the amount of such compensation shall be set off against the amount of pensionary benefits admissible to the employees under these by-laws.

8. Dissolution:- The Fund shall be dissoloved upon the dissolution of the Board, in which case, all the assets and liabilities or the Fund shall stand transferred to the Central Government and the Central Government shall discharge the liability towards all the employees concerned as per these by-laws.